

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहं काम हुकम की में जार
---------------	-----------------------------------	--

8/03/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वाले उपस्थित। आवाज दिलवाई गई वकील उपस्थित अनुपस्थित प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थना की बहस सूनी गई, पत्रावली वाले आदेश दिनांक 15/3/22 को पेश हों। 8/	में कि के की को हो पर के कि का
15/3/22	पत्रावली वाले आदेश पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध सकल राजस्व रिपोर्ट, प्राथमिक प्र.पत्र, जवाब, माँका रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया। वकील प्रार्थना की बहस पर मनन किया। जिससे स्पष्ट है कि अधिकारी तदधीनदार वडीलाडी के अधिकार राजस्व कार्मिक अ. अ. नि., पटनारी हल्का द्वारा प्रकरण गुप्त आ. नं. 805/2 खटा 19-03 बीधा भूमि से संबंधित नक्शा इस यानि ग्राम- वडीलाडी के मूल शीट में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश बिना जो नक्शा में तरसीम कार्य किया है जो विधिसम्मत नहीं होकर नियमावली सही नहीं है। यहाँ तक कि खालेदा को भी बिना सूचना दिये व बिना सुने तरसीम कार्य किया है जबकि तरसीम काबत कोई आवेदन भी पत्रकार द्वारा प्रकरण गुप्त भूमि के खालेदा के द्वारा नहीं दिया	का वडीस कि खटा तरसीम में पत्र नि की नि सुनाय नम्बर

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

विद्युत
की
सुधार
रहित
पत्रावली
डि. प्रानि
न किष्ण
नन
धारी
धरा
19-03
स भानि
रना
बिना
ह जो
सही
भी
रमीम
कोई
गुप्त
दिया

में ऐसे किसी तरह का उल्लेख नहीं
किया जिसमें यह साबित हो सके
कि उनमें से किसी आवेदन पर तरमीम
की कार्यवाही की गई/ ना ही ऐसा
कोई इस्तावेज पत्रावली के पेश किया
है समग्र विश्लेषण से हम वस निष्कर्ष
पर पहुंचे हैं कि नियमावली तरमीम कले
के संबंध में प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने से
कि गई तरमीम निरस्त भोग्य है। प्रार्थी
का प्र. पत्र स्वीकार भोग्य है।

कतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136
का स्वीकार किया जाकर तदधीनदार
को सादरी को आदेश दिया जाता है
कि ग्राम - कौसाडी के आ. न. 805/2
खवा 19-03 बीधा भूमि के तमशे के
तरमीम के शर्त की स्थिति राजस्व रिपोर्ट
में दर्ज की जाए।

निर्दिष्ट की प्रति पालनार्थ तदधीनदार
को सादरी को उपदिष्ट की जावे।

निर्दिष्ट से इत्तलास लिखाया जाकर
सुनाया गया। पत्रावली केवल शुभ एकीक
नम्बर से कम हो।

(विन्दुबाला राजावन) RAS

उपलब्ध अधिकारी